

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज0)
बईजलास डॉ. भँवर लाल,आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 29/2018

प्रार्थी

1. श्री लालचन्द पेशवानी पुत्र श्री मूलचन्दजी जाति सिंधी निवासी अक्षय कॉलोनी मांच गांव आबूपर्वत जिला सिरोही।
2. श्री लक्ष्मण पेशवानी पुत्र श्री मूलचन्दजी जाति सिंधी निवासी अक्षय कॉलोनी मांच गांव आबूपर्वत जरिए पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री लालचन्द पेशवानी निवासी अक्षय कॉलोनी मांच गांव आबूपर्वत जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय शालीमार बाग दिल्ली जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश कुमार शर्मा।


रिव्यू प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत मूल प्रार्थना पत्र संख्या 27/2017 धारा 14 दी सिक्युराइटी एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक : 16.12.2022



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा दिल्ली ने प्रार्थी मैसर्स मैक्सआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 715, नौरग हाउस, 21 के जी मार्ग कर्नॉट पैलेस नई दिल्ली व अन्य के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटी एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रस्ट एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना पत्र 27/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 11.07.2017 को फैंसल किया जाकर प्रार्थी मैसर्स मैक्सआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 715, नौरग हाउस, 21 के जी मार्ग कर्नॉट पैलेस नई दिल्ली व अन्य द्वारा अप्रार्थी बैंक के पक्ष में प्रतिभूति रूप में रखी गयी, जायदाद का कब्जा सम्बन्धित पुलिस थाना के जरिये अप्रार्थी बैंक को दिये जाने का आदेश पारित किया गया था।


इस निर्णय के पश्चात श्री लालचन्द पेशवानी व अन्य ने प्रकरण संख्या 27/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री लालचन्द पेशवानी व अन्य बनाम अप्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अनवान का अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया है जो प्रकरण संख्या 29/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया जिस पर उनकी ओर से दिनांक 12.05.2022 एवं दिनांक 04.08.2022 में प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक सिरोही द्वारा उपस्थिति दी गई, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

Bella
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि पूर्व में निर्णित प्रकरण संख्या 27/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के संबंध में ऐतराज व्यक्त किये कि उक्त निर्णय पारित करने में प्रार्थी को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक पक्षीय पारित किया गया था। यह है कि प्रार्थीगण द्वारा मैसर्स मैक्सआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा लिए गए ऋण की गारन्टी दी थी, ऋण अदायदी का प्रथम दायित्व ऋणी मैसर्स मैक्सआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं उसके डायरेक्टर का है, जिनकी सम्पत्ति भी अप्रार्थी बैंक के हक में रहन है, उसे विक्रय कर अप्रार्थी वसूल कर सकती है। मूल ऋणी तथा उसके डायरेक्टर की सम्पत्ति से वसूली नहीं होने की दशा में ही प्रार्थीगण का दायित्व बनता था, इस कारण प्रार्थीगण की सम्पत्ति का कब्जा कानूनन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अप्रार्थी बैंक ने ऋण राशि वसूलने के लिये प्रार्थी मैसर्स मैक्सआउट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. व अन्य के विरुद्ध Debt Recovery Tribunal, New Delhi में वाद भी कर रखा है जिसमें सम्पत्ति लेने हेतु की गई कार्यवाही परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रकरण संख्या 27/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 को Recall किए जाने के आदेश प्रदान करावें तथा प्रार्थी की सम्पत्ति का कब्जा पुनः प्रार्थीगण को दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।


अप्रार्थी बैंक की ओर से दिनांक 12.05.2022 एवं दिनांक 04.08.2022 को प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक सिरोही द्वारा उपस्थिति दी गई, परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व में इनको जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है। अप्रार्थी बैंक की ओर बहस हेतु नियत तिथि पर भी किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांती अध्ययन एवं अवलोकन किया एवं मनन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि SARFAESI Act 2002 के प्रावधानों के अनुसार एवं न्यायालय में उपलब्ध नजीरो से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत रिब्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 नियम 13 व आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत (2003) 9 ILD 429 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 13(2) SARFAESI Act 2002 का नोटिस प्रार्थीगण को तामिल हो चुका है, जिसे 60 दिन से अधिक का समय हो चुका है। इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत 2008(I) BC 355 एवं 2008 (I) BC 440 में स्पष्ट किया गया है कि धारा 13(2) SARFAESI Act 2002 का नोटिस ऋणी को प्राप्त हो जाता है तथा नोटिस में दर्शायी निर्धारित अवधि के बाद भी ऋणी बैंक अथवा फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूट की राशि अदा नहीं करता है तो धारा 14 SARFAESI Act 2002 के अन्तर्गत रहन रखी गई सम्पत्ति को बैंक को दिलाये जाने हेतु कार्यवाही के लिये प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इस प्रकार की कार्यवाही में किसी भी तरह का नोटिस ऋणी को दिया जाना आवश्यक नहीं है। इस तर्क के समर्थन में विधिक दृष्टांत पार्ट III (2005) बी.सी 44 (DRAT/DT) एवं पार्ट IV(2005) BC 117 (DRAT/DT) तथा writ Petition 2763/2006 Trade well/India Bank, 2008 (I) BC 668, 2007(I) BC 44 DRAT में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित


Bailoo
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

किया गया है। इस न्यायालय में उपलब्ध विधिक दृष्टांत (2003) 9 ILD 429(AP), 2007 DNJ (SC) 196 , MANU/MH/0195/2007 , & 2008 (1)ISJ(Banking) 127 अनुसार भी रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया ।



Billa
(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट, सरोही